विचार बिन्दु

घर का मोह कायरता का दूसरा नाम है। –अज्ञात

प्राकृतिक जलवायु समाधान हेतु स्थानीय ज्ञान का योगदान

समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और विशाल भौगोलिक विस्तार ने भारत में स्थानीय ज्ञानऔर संसाधन प्रबंध की विविधता को बढ़ावा दिया है। विशेषकर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले समुदायों का अनोखा ज्ञान और स्थानीय संसाधन प्रबंध की असंख्य विधियां हैं जो स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र के साथ गहराई से जुड़ी हुई हैं। मेरी अपनी यात्रा मध्य प्रदेश के एक छोटे से ऐसे गाँव सेप्रारंभ हुईजो बहुत व्यापक भू-सांस्कृतिक परिदृश्य के बीच बसा है। असल में यह वनों, तालाबों, खेतों और नदी जैसे प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्रों से घिरा गाँव है। बचपन से मैंने उन पारंपरिक प्रथाओं और ज्ञान कोजिया है जो पीढ़ियों से हमारे समाज का हिस्सा रही हैं। इनमें हमारे जीवन और आजीविका को संबल देने वाली फसलों के साथ-साथ खेतों में विविध प्रजातियों के वृक्ष और नरो पहाड़ के भीतर संरक्षित अनेक देव-वन शामिल हैं। जटिल पारिस्थितिक तंत्रों के साथ हमारे इस शुरुआती रिश्ते ने पारंपरिक ज्ञान, समकालीन विज्ञान और अनुभवजन्यज्ञान के एकीकृत दृष्टिकोणको समझने का रास्ता दिया और पर्यावरण संरक्षण के लिएमेरे मानस-पटलपर आजीवन समर्पण की नींव रखी। मुझे बचपन के वे दृश्य अभी भी ठीक से याद हैंजब हम अपने गांव के आम और महुआ के बगीचों के नीचे संगी-साथियों के सानिध्य में गर्मी की दोपहर बिता देते थे।उस समय का अनुभव और पीढ़ियों से मिला स्थानीय ज्ञान आज और अधिक मूल्यवान और प्रासंगिक हो गया है।आज की चर्चा प्राकृतिक जलवायु समाधान के सन्दर्भ में स्थानीय ज्ञान के उपयोग पर है।

प्राकृतिक जलवायु समाधान (नेचुरल क्लाइमेट सोल्यूशन) में भूमि प्रबंधन, संरक्षण और पुनर्स्थापन के सभी कार्य शामिल हैं जो कार्बन भंडारण को बढ़ाते हैं या पूरे परिदृश्य में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन कमकरते हैं। इनमें वन, खेती, घास के मैदान,आर्द्रभूमि और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र सभी शामिल हैं। प्राकृतिक जलवायु समाधान अब अपरिहार्य हो गए हैं क्योंकि वे पारिस्थितिक, आर्थिक और सामाजिक लाभ प्रदान करने के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन से निपटने के मार्ग प्रदान करते हैं। पेरिस समझौते द्वारा निर्धारित लक्ष्य, ग्लोबल वार्मिंग को 2डिग्री सेल्सियस से नीचे स्थिर करने के लिए प्राकृतिक जलवायु समाधान,वर्ष 2030 तक लागत-प्रभावी जलवायु शमन के उपायों का एक तिहाई हिस्सा प्रदान करते हैं। स्थानीय ज्ञान, जिसे इंडिजीनस नॉलेज भी कहा जाता है,वह ज्ञान है जो सदियों से स्थानीय समुदायों द्वारा उनके पर्यावरण और संसाधनों के साथ उनके अनुभवों के आधार पर विकसित किया गया है। यह ज्ञान पीढ़ी-दर-पीढ़ी मौखिक रूप से या देखने-सुनने के माध्यम से आगे जाता है। यह ज्ञान उनकी सांस्कृतिक परंपराओं,रीति-रिवाजों, बोलियों-भाषाओं,धार्मिक विश्वासों,और सामाजिक संबंधों में निहित होता है। स्थानीय ज्ञान में पर्यावरण प्रबंधन,खाद्य उत्पादन,चिकित्सा,कृषि,जलवायु परिवर्तन अनुकूलन,और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने कीस्थानीय-विशेषज्ञता भी शामिल होती है। पर्यावरणीय परिस्थितियों में बदलावके प्रति अनुकूलन क्षमता,सामूहिक सामाजिक स्मृति, प्रकृति और दैनिक क्रियाकलापका परस्पर जुड़ावआदि विभिन्न पहलुओं केसाथ इंडिजीनस नॉलेज वस्तुत: एकाकार रहता है। पर्यावरण के सन्दर्भ में सदियों से पीढ़ियों के जुड़ाव व व्यवहारके माध्यम से उत्पन्नस्थानीय ज्ञान और क्रिया-कलाप ठीक वैसे ही हैं जिन्हेंसमकालीन विज्ञान प्राकृतिक जलवायु समाधान कहता है। स्थानीय समुदायों के पीढ़ी-दर-पीढ़ी चले आ रहे ये तमाम क्रिया-कलाप स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्रों के प्रबंध, सतत भूमि उपयोग,जैव-विविधता संरक्षण और आजीविका में बेहतरी की गहरी समझ के उदाहरण हैं।

प्राकृतिक जलवायु समाधान पर समकालीन वैज्ञानिक अनुसंधान के साथ पारंपरिक ज्ञान को एकीकृत करने से जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन प्रयासों की प्रभावशीलता बढ़ सकती है। जलवायु परिवर्तन, जैव-विविधता का ह्रास और स्थानीय आजीविका पर आसन्न संकट जैसी समकालीन पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए पारंपरिक ज्ञान और प्रथाओं को अपनाया और बढ़ाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, पारंपरिक कृषि-वानिकी एक ऐसे मॉडल के रूप में अपनाईजा सकती है जो फसल की पैदावार को बनाए रखते हुए खेती की जमीन में कार्बन संचय को बढ़ा सकती है। इसी प्रकार पारंपरिक जल संरक्षण की विधियां आर्द्रभूमि केपुनर्स्थापन और बाढ़ के प्रबंधन में मददगार हो सकती हैंइनके परिणामस्वरूप कार्बन संचय और जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों के प्रति स्थानीयसमाज का लचीलापन या रेजीलिएंस दोनों हे बेहतर हो सकते हैं।

पारंपरिक ज्ञान और प्राकृतिक जलवायु समाधान पर हो रही शोध के मध्यसामंजस्यबैठाकर जैव-विविधता हानि, जलवायु परिवर्तन और आजीविका के संकटों से निपटने के लिए एक ठोस दृष्टिकोण विकसितकिया जा सकता है। दीर्घकाल से खरी उतरी रणनीतियों और स्थानीय ज्ञान को प्राकृतिक जलवायु समाधान रणनीतियों में शामिल करसमकालीन पर्यावरणीय चुनौतियों के लिए नवाचारी औरसांस्कृतिक रूप से उपयुक्त समाधान विकसित कर सकते हैं। यह एकीकरण न केवल स्थानीय समुदायों के ज्ञान का सम्मान करता है,बल्कि जलवायु परिवर्तन को कम करने और अनुकूलित करने के वैश्विक प्रयासों को भी मजबूत करता है।इसके परिणामस्वरूप सतत और लचीले भविष्य का मार्ग प्रशस्त होता है।

इसी प्रकार पारंपरिक जल संरक्षण की विधियां आर्द्रभूमि केपुनर्स्थापन और बाढ़ के प्रबंधन में मददगार हो सकती हैं।इनके परिणामस्वरूप कार्बन संचय और जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों के प्रति स्थानीयसमाज का लचीलापन या रेजीलिएंस दोनों हे बेहतर हो सकते हैं।

विश्व-प्रसिद्ध पत्रिका, साइंस के संपादकीय में कहा गया है कि व्हाइट हाउस सहित प्रमुख संस्थानों ने अनुसंधान,नीति निर्धारण और भूमि प्रबंधन ढांचे में स्थानीय ज्ञान को शामिल करना उपयोगी माना है।यह अधिक समावेशी पर्यावरणीय रणनीतियों की ओर एक आदर्श बदलाव का संकेत देता है। सेंटर फॉर ब्रेडिंग इंडिजिनस नॉलेज एंड साइंस (सीबीआईकेएस) जैसी संस्थाओं की स्थापना सेस्थानीयज्ञान और पश्चिमी वैज्ञानिक विषयों को एकीकृत करने की दिशा में अनुसंधान को बढ़ावामिला है। इन प्रयासों का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन,खाद्य असुरक्षा और सांस्कृतिक पहचान आदि विषयों और समस्याओं को एक ऐसे एकीकृत दृष्टिकोण के माध्यम से हल करना है जो ज्ञान की विविधता पर निर्भर है।

रोजमर्रा की समस्याओं को प्रभावी ढंग से हल करने हेतु वैज्ञानिक अंतर्दृष्टि के साथ स्थानीय ज्ञान कीमदद से स्थानीय समुदायों के साथ जुड़ना आवश्यक है। लेकिन उनसे केवल ज्ञान निकलवाकर उन्हें किनारे कर देने जैसी विधियों से नहीं बल्कि उनके अधिकारों और योगदान को साथ रखना चाहिए। ऐसा सम्मानजनक दृष्टिकोण सभी प्रकार के ज्ञान को अधिक प्रासंगिक और स्वीकार्य बनाता है और सामाजिक न्याय और आत्मनिर्णय को भी बढ़ावा देता है। भारत के विविध पारिस्थितिक और सांस्कृतिक परिदृश्य में, स्थानीय ज्ञान और क्रियाकलाप प्राकृतिक जलवायु चुनौतियों के लिए प्रभावी समाधान प्रदान करते हैं। घरेलू बागवानी, कृषि-वानिकी से लेकर देववनों की सुरक्षा आदि जैव-विविधता, कार्बन संचय,जल-प्रबंधन और मिट्टी कीबेहतरी में योगदान करती हैं। उदाहरण के लिए ग्राामीण क्षेत्रों में घरेलू बगीचे केवल भोजन के स्रोत नहीं हैं। वे जैव-विविधता का संरक्षण, परागण में मदद, वायु की गुणवत्ता में सुधार, और माइक्रॉक्लाइमेट को बेहतर करते हैं। कार्बन भंडारण में महत्वपूर्ण योगदान तो देते ही हैं।

दूसरा उदाहरण कृषि-वानिकी का है।खेतों में खेती के साथ पेड़ों को उगानाइसलिए उपयोगी है क्योंकि यह अधिक विविध,उत्पादक और टिकाऊ भूमि-उपयोग प्रणाली के साथ कृषि कोमदद करता है। कृषि-वानिकी प्रणालियों में खेतों में कुओं के आसपास वृक्ष और आम,महुआ आदि के बगीचे भी शामिल हैं जो मिट्टी को समृद्ध करते हैं, वन्यजीवों के लिए आवास भी प्रदान करते हैं, और भू-परिदृश्य में कनेक्टिविटी और पारिस्थितिक संतुलन में योगदान करते हैं।

ऐसे अनेक उदाहरण हैं और सबका वर्णन यहाँ संभव नहीं है। यह समझना आवश्यक है कि ये स्थानीय प्रथाएं सामूहिक रूप से पर्यावरणीय स्थिरता के लिए एक समग्र दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये सभी विभिन्न प्रजातियों की विविधता के मध्य अंतर्संबंध और पारिस्थितिक तंत्र की अखंडता को बनाए रखने के महत्व पर जोर देते हैं। इन स्थानीय प्रथाओं को समकालीन विज्ञान के साथ एकीकृत करकेभारत पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने के लिए अपने पारंपरिक पारिस्थितिक ज्ञान की शक्ति का उपयोग कर सकता है। इसके अलावा, स्थानीय समुदायों, वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं और संरक्षण संगठनों के बीच साझेदारी को बढ़ावा देने से ज्ञान के आदान-प्रदान और सांस्कृतिक और पर्यावरण की दृष्टि से उपयुक्त नवीन समाधानों के साझा-उत्पादन और साझा-संश्लेषण किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, द नेचर कंजरवेंसी द्वारा समर्थित और टेरी स्कूल ऑफ एडवांस्ड स्टडीज द्वारासंचालित ''भारत में प्राकृतिक जलवायु समाधानों पर ज्ञान और प्रशिक्षण कार्यक्रम'' वैज्ञानिक ज्ञान, स्थानीय ज्ञान और अनुभवजन्य ज्ञान के एकीकरण पर आधारित है। भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के लक्ष्योंकी प्राप्ति को सुगम बनाने के लिए अभी तक हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, जम्मू और कश्मीर, झारखंड और मेघालय में राज्य गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रदत्त ज्ञान से भारत में वर्ष 2030 तक 2.5 से 3 बिलियन टन अतिरिक्त कार्बन को संचित करने केलक्ष्यको पूरा करने में मदद मिल रही है।

अंत में पुन: व्यक्तिगत बात की जाये तो गाँव में मेरे उन प्रारंभिक दिनों के बाद से अब तक कई साल बीत चुके हैं, और मेरी यात्रा मुझे प्रकृति में रहने वाले एक ग्रामीण की भूमिका से एक वनपाल, वैज्ञानिक और प्राकृतिक जलवायु समाधानों पर वैज्ञानिक की भूमिका तक ले आयी है। अपने पूरे कैरियर के दौरानमुझे अपने बचपन में प्राप्त पारंपरिक पारिस्थितिक ज्ञान को वैज्ञानिक अनुसंधान और से एकीकृत करने और जमीनी स्तर पर काम से जोड़ने का सौभाग्य मिला है। बिगड़े पारिस्थितिकी तंत्रों को पुनर्स्थापित करने से लेकर कृषिवानिकी आदि को बढ़ावा देने और देववनों की रक्षा करने आदि के लिए मैंने बेहतर भू-परिदृश्य विकसित करने के लिए समकालीन विज्ञान के साथ हमारे समुदायों के ज्ञान को जोड़ने का प्रयास किया है। देश भर में प्राकृतिक जलवायु समाधानों को आगे बढ़ाने का प्रयास हमारी टीम कर रही है, उस कार्य में वर्षों से अर्जित अनुभव के साथ विज्ञान और स्थानीय ज्ञान का बराबर योगदान है। इस प्रयास में टीएनसी के डॉ. सुदीप्तो चटर्जी, डॉ. सुशील सहगल, डॉ. श्वेता सिंह और टेरी स्कूल ऑफ एडवांस्ड स्टडीज के प्रोफेसर शालीन सिंघल की भूमिका अति-महत्वपूर्ण है। ज्ञान के एकीकरण से नीति और क्रियान्वयन दोनों स्तरों पर कार्यक्रम का गहरा प्रभाव रहा है, जिससे देश भर में नेचुरल क्लाइमेट सोल्यूशन से जुड़ी रणनीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन का मार्ग प्रशस्त हो रहा है।

डॉ. दीपनारायण पाण्डेय
(भारतीय वन सेवा से सेवानिवृत्त तथा वर्तमान में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान सहित अनेक विश्वविद्यालयों में विजिटिंग प्रोफेसर)
(यह लेखक के निजी विचार हैं और 'सार्वभौमिक कल्याण के सिद्धांत' से प्रेरित हैं)।

अवैध निर्माण क्या होता है?

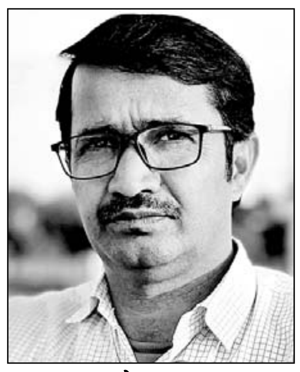

रामगोपाल जाट

आजकल जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्वाचन क्षेत्र सांगानेर में सड़कें चौड़ी करने के लिए बड़े पैमाने पर निर्माण तोड़े जा रहे हैं। पहले न्यू सांगानेर रोड से वंदे मातरम् सर्किल तक सड़क के दोनों ओर से निर्माण तोड़कर उसे 100 फीट किया गया। इसके बाद बुधवार से न्यू सांगानेर रोड को भी 200 फीट करने के लिए सड़क के पश्चिमी दिशा में बने निर्माण तोड़े जा रहे हैं। दोनों सड़कों में एक बात कॉमन है, कि प्रशासन ने दोनों सड़कों के जिस निर्माण को तोड़ा है, उसे अवैध निर्माण करार दिया है। अवैध! यानी जिसको जेडीए के मना करने के बावजूद बना दिया गया हो, या जेडीए से अनुमति लिए बिना बनाया गया हो। किंतु यहां मामला अलग ही है। जयपुर विकास प्राधिकरण इस कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। प्रशासन का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद न्यू सांगानेर रोड को चौड़ा किया जा रहा है, जबकि सेक्टर प्लान में भी सड़क को लेकर दो-तीन बदलाव हो चुके हैं। इस सड़क पर कुछ बड़े मामले भी हैं, जिनका जिक्र करना जरूरी नहीं है, यहां सब लोग जानते हैं। हालांकि, कोर्ट का आदेश करीब 3 साल पहले का है, जिसकी पालना पिछली अशोक गहलोत सरकार को करनी थी, लेकिन वोट बैंक को देखते हुए नहीं की गई। पिछली सरकार में कांग्रेस नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज ने इस निर्माण को बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हालांकि, वो सांगानेर से जीत नहीं पाए। अब इसकी पालना खुद सांगानेर के विधायक भजनलाल शर्मा के सीएम बनने के बाद किया जा रहा है।

यहां जिनकी दुकानें और निर्माण टूट रहा है, उसमें दो गुट बने हुए हैं। एक गुट सीएम के पास जाकर निर्माण तोड़ने की कार्रवाई पर उनका स्वागत कर रहा है तो दूसरा गुट मुआवजे की मांग कर रहा है। अवैध निर्माण की परिभाषा जेडीए के वो अधिकारी भी नहीं बता पा रहे हैं, जो इस कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। वैसे तो कोर्ट्स के आदेश की पालना सरकारें कितनी तत्परता से करती हैं, यह बताने की आवश्यकता नहीं है, किंतु जिस तरह की कार्रवाई न्यू सांगानेर रोड और उससे पहले वंदे भारत को जोड़ने वाली 100 फीट रोड के निर्माण को तोड़ने में हुई, वो वाकई प्रश्न खड़े करने वाली है। दो-तीन दशक से खड़े निर्माण को अवैध बताकर तोड़ दिया जाता है। निर्माण होते समय जेडीए के अधिकारी सोते रहते हैं या हिस्सेदारी लेने में व्यस्त रहते हैं, लेकिन जब ऊपर से डंडा पड़ता है, तब उसी निर्माण को अवैध बताकर तोड़ने पहुंच जाते हैं।

न्यू सांगानेर रोड पर निर्माण वाले दो गुट हो गए हैं, जिनके अपने-अपने फायदे और नुकसान हैं। एक पक्ष, जो निर्माण तोड़ने के पक्ष में है, उसकी जमीनें टूटने वाली दुकानों के बिलकुल पीछे आ रही हैं, जो सड़क वाली दुकानों के टूटते ही मुख्य 200 फीट सड़क पर आ जाएंगी। कुछ की एक दुकान टूट रही है और पीछे प्लाट में चार-छ: दुकाने बनने वाली हैं। इसके विपरीत जिनकी अभी सड़क पर एक या दो दुकानें हैं, लेकिन उनके टूटने पर पीछे जमीन नहीं बचती है, वो दुखी हैं, वो चाहते हैं कि सरकार इस सड़क को जैसे 250 से 200 कर चुकी है, वैसे ही 200 से 180 फीट ही रख दे। यदि तोड़ना ही चाहती है तो पीड़ितों को उचित मुआवजा दे। बात सही भी है! किसी ने 5, 10 या 15 साल पहले व्यापार करने के उद्देश्य से 10, 20, 30, 40 लाख रुपये की दुकान खरीदी थी, आज प्रशासन की मनमानी के कारण उनके जीवन भर की पूंजी बर्बाद हो रही है। कोई बताए उनका दोष ही क्या है? क्या दुकानें बनाने या खरीदने से किसी को रोका गया? क्या जेडीए ने ऐसा कोई आदेश निकाला था कि जो भी यहां पर दुकानें बनाएगा या खरीदेगा, टूटने पर नुकसान का स्वयं जिम्मेदार होगा?

जेडीए अधिकारी यह नहीं बता पाते हैं कि अतिक्रमण, निर्माण और अवैध निर्माण में अंतर क्या है? असल बात यह है कि जब निर्माण हो रहा होता है, तब जेडीए अधिकारियों को हिस्सेदारी के कारण होश ही नहीं होता है। अधिकारी मौके पर जाते हैं, अपना हिस्सा लेकर निर्माण करवा देते हैं। शहर में खुलेआम लोग इस बात का दावा करते हैं कि फंला अधिकारी आया था और इतने पैसे लेकर मामला रफा-दफा कर गया, अब उनको निर्माण से कोई नहीं रोकेगा। कितने आश्चर्य की बात है कि जिनको शहर का प्रहरी बनाया जाता है, जिनके उपर अवैध निर्माण रोकने की जिम्मेदारी होती है, वो ही हिस्सा लेकर धड़ल्ले से अवैध निर्माण करवा देते हैं।

न्यू सांगानेर रोड का मास्टर प्लान 2011 में बना, लेकिन यहां दुकानें तो 40 से 45 साल पहले बन चुकी थीं। ऐसे में दुकान वालों का दोष क्या है? यदि ये दुकानें अवैध थीं तो इनको तब बनने क्यों दिया? यदि बन गई थीं, तो चार दशक तक तोड़ा क्यों नहीं? और अब तोड़ रहे हैं तो उनको मुआवजा क्यों नहीं दिया जा रहा? यदि कोर्ट के आदेश की बात करें तो मध्यम मार्ग पर अवैध निर्माण तोड़ने के हाईकोर्ट के आदेश की पालना क्यों नहीं हो रही है? न्यू सांगानेर रोड पुलिया से लेकर डिग्गी रोड पर टूटी पुलिया तक सड़क बनाने का हाईकोर्ट का आदेश किस अलमारी में पड़ा है? इसका प्रशासन के पास कोई जवाब नहीं है। मानसरोवर बसाया गया, तब मध्यम मार्ग पर आवासीय भूखंड आवंटित हुए थे, बाद में कुछ के वाणिज्यिक उपयोग हेतु लैंड यूज चेंज करवा लिया गया, लेकिन उससे कई गुणा अधिक आवासीय परिसरों में ही कारोबार किया जा रहा है। कोर्ट का आदेश पड़ा है कि इनको तोड़ा जाए, लेकिन जेडीए नींद में सो रहा है, उसको कोर्ट का आदेश दिखाई नहीं देता है। सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट के ऐसे दर्जनों आदेश जाने जेडीए के किस कमरे की किस अलमारी में धूल फांक रहे हैं, जिनकी सुध लेने का किसी के पास समय नहीं है। क्योंकि जिम्मेदार अधिकारियों के पास इसके अलावा भी बहुत इम्पोर्टेंट काम हैं, जिसको हर दिन अंजाम दिया जा रहा है। जेडीए अधिकारी बताएं, जयपुर के किस कोने की किस जोन में अवैध निर्माण नहीं है या हो रहा है? जेडीसी को भी पता होता है और जोन आयुक्त को तो सब पता होता ही है, लेकिन सब आंखें मूंदकर बैठे हैं।

न्यायालय की बात करें तो रामगढ़ बांध के अवैध निर्माण हटाने के आदेशों का क्या हुआ? क्या कोई अधिकारी, मंत्री या मुख्यमंत्री इसका जवाब दे सकता है? कोई नहीं देगा और ना ही कोई इनका जवाब देना चाहता है! कभी जयपुर की लाइफ लाइन रहा रामगढ़ बरसों से सूख पड़ा है, इसे पुनर्जिवित करने के लिए अखबार लिख-लिखकर थक चुके हैं, जनता प्रशासन से मांग करके हार गई है, लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगती है। किसे पता नहीं है कि रामगढ़ के कैचमेंट एरिया में कितने अधिकारियों के अवैध फार्म हाउस नहीं बन हैं। जब अधिकारी ही अवैध कब्जा करके बैठे हैं तो फिर कार्रवाई की उम्मीद किससे की जाए? अलबत्ता तो जो अधिकारी अवैध निर्माण करवा रहा है, या उसके क्षेत्र में हो रहा है, उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिए, जिम्मेदार तय कर उसके पद से बर्खास्त किया जाए, उसके खिलाफ कानून की कठोर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसकी संपत्ति जब्त करनी चाहिए, ताकि अन्य अधिकारियों को सबक मिले। जब तक अधिकारियों पर कार्यवाही नहीं होगी, तब तक इन छोटी-मोटी कार्रवाई से कुछ नहीं होने वाला है। फिर बनेंगे, फिर टूटेंगे, फिर बनेंगे और यह सिलसिला चलता रहेगा।

जब सीएम भजनलाल शर्मा के निर्वाचन क्षेत्र में इतना बड़ा निर्माण तोड़ा जा रहा है, तो प्रश्न खड़े होंगे ही। प्रश्न खड़े होंगे तो शासन को जवाब देना होगा, किंतु इन प्रश्नों से बचने के लिए आजकल मीडिया का यूज किया जाता है। अपने बचाव के लिए सरकारों द्वारा मीडिया का एक ठुप तैयार कर लिया गया है, जो दिन रात केवल सरकार को बचाने का काम ही करता है। संविधान के तीन खंबों के बाद सर्वाधिक जिम्मेदार पत्रकार होते हैं, लेकिन मीडिया संस्थान उनके हाथ बांधकर युद्ध के मैदान में उतार देते हैं। नतीजा यह होता है कि जो शासन कहता है, वही रिपोर्टर लिखते रहते हैं। पिछले कुछ बरसों में पत्रकारों ने खुद के दिगाम का इस्तेमाल तो जैसे बंद ही कर दिया है। किसी खबर को लेकर न कोई खोजबीन करना चाहता है, न उसकी गहराई में जाकर मामले की जांच चाहता है। किसी के पास इतना समय ही नहीं है, परिणाम यह होता है कि जेडीए अधिकारी यदि किसी वैध निर्माण को भी अवैध बोलकर तोड़ते हैं तो मीडिया उसको अवैध बताकर ही आमजन को परोस देता है। एक नैरेटिव बनाया जाता है कि तोड़ा गया निर्माण अवैध ही था। पत्रकार जब किसी विषय को समझने, उसके शोध करने की क्षमता खो देता है, तो समझ लिजिए कि सरकारों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं रह गई है। खबरों को तब तक नहीं छापा जाता था, जब तक उचित तथ्य नहीं होते थे, आजकल प्रशासन बता देता है, उसी को मीडियाकर्मी अपने संस्थान को लिखकर दे देता है और उसे ही मीडिया संस्थान जनता को परोस देता है। पत्रकारों का जब उचित प्रशिक्षण नहीं होता है, तब प्रशासन भारी होने लगता है। अधिकारी जो बोलते हैं, वही रिपोर्टर लिखने लगता है। आजकल यह एक परंपरा बन गई है कि प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारी जो बता देते हैं, पत्रकार उसी को सच मानकर खबर बना देता है, जबकि उसे घटना की तह तक जाकर खबर लिखनी चाहिए।

–रामगोपाल जाट,
वरिष्ठ पत्रकार

मोतीपुर ग्राम पंचायत में महिला एवं पुरुषों ने 200 पौधे लगाये

सभी ने पौधों के चारों और तारबंदी कर पौधों की सुरक्षा का जिम्मा लिया

आसीन्द, (निसं)। पंचायत समिति क्षेत्र के मोतीपुर ग्राम पंचायत क्षेत्र में शनिवार को सैकड़ों की संख्या में महिला एवं पुरुषों ने 200 से अधिक पौधे लगाए और चारों और तारबंदी कर पौधों की सुरक्षा का जिम्मा लिया।

आसींद क्षेत्र में पेड़ों की अवैध कटाई के चलते इस वर्ष सबसे अधिक तापमान जिले में आसींद में दर्ज किया गया एवं लगातार पेड़ काटने के चलते आसींद सेक्टर में बारिश औसत घटता जा रहा है। अब लोगों में धीरे-धीरे जागरूकता फैलने लगी है, वहीं इसी कड़ी में शनिवार को मोतीपुर में सघन पौधारोपण अभियान का शुभाआरंभ किया गया। पौधारोपण उप सरपंच विनोद मेवाड़ा एवं समाजसेवी ओमप्रकाश जाट के नेतृत्व में महिला एवं पुरुषों ने उत्साह के साथ पौधारोपण किया। इस मौके पर सचिव कुंदनमल शर्मा, हरफूल रायका, घनश्याम वैष्णव, बाबू रायका, नानूराम भील,

■ मोतीपुर ग्राम पंचायत में सघन पौधारोपण अभियान के तहत महिला एवं पुरुषों ने उत्साह के साथ पौधारोपण किया

सेना रायका, सोहन बैरवा, जगदीश मेवाड़ा सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। वहीं जिस जगह पौधारोपण किया गया उसे पौधों का सार संभाल ग्राम पंचायत के सहयोग में ग्रामीण भी भागीदारी निभाएंगे।

सरपंच एवं पंचायत समिति सदस्य ने बताया कि गांव में पौधारोपण के प्रति लोगों को उत्साह देखा गया। सम्पूर्ण पंचायत को हरा भरा करने के लक्ष्य से पौधारोपण करने के दौरान महिला एवं पुरुषों में खासा उत्साह दिखाई दिया।

मोतीपुर ग्राम के लोगों ने पौधे लगाकर सार-संभाल की जिममेदारी ली।

ग्रामीणों के विरोध के बाद भी मीणा की नांगल में भारी ब्लास्टिंग जारी

पाटन, (निसं)। हरियाणा बॉर्डर पर बसे गांव मीणा की नांगल में ग्रामीणों के विरोध के बाद भी भारी ब्लास्टिंग से खनन कार्य किया जा रहा है। ऐसे में मीना की नांगल के लोग दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। एक तरफ सरकार धूल-धूंआ भारी ब्लास्टिंग पर शिकंजा कस रही है।

■ लोग दहशत के साए में जीने को मजबूर

वहीं खनन कारोबार से जुड़े लोग भारी ब्लास्टिंग कर सरकार के कानून कायदों की धज्जियां उड़ा रहे हैं।

ग्रामीणों ने बताया कि मानसून आ चुका है। खेतों में बुवाई-जुताई का कार्य शुरू हो चुका है, परंतु खदान नंबर 295/05 के मालिक कालूराम गुर्जर आईआर मशीन से गहरे होल बनाकर उसमें विस्फोटक सामग्री डालकर भारी ब्लास्टिंग करते हैं, ऐसे में खदान से पत्थर के टुकड़े उड़कर उपजाऊ भूमि में गिरते हैं, जिससे उपजाऊ भूमि बंजर होती हुई जा रही है। भारी ब्लास्टिंग के चलते क्षेत्र का जल स्तर भी काफी गहरा होता जा रहा है जिस कारण पीने की समस्या भी गंभीर खड़ी हो गई है।

विस्फोटक सामग्री भी खदान में खुले में पड़ी रहती है, खदान से पत्थरों से भरे हुए डंपर गांव के अंदर से निकलते हैं। जिसके चलते आए दिन दुर्घटनाओं को अंदेशा बना रहता है। स्थानीय प्रशासन को अनेकों बार अवगत करवाया गया परंतु स्थानीय प्रशासन भी राजनेताओं के दबाव के कारण कोई कार्रवाई नहीं करता जिसके चलते लोगों का जीना दुभर हो रहा है।

राशिफल रविवार 30 जून, 2024

पंडित अनिल शर्मा

आषाढ़ मास, कृष्ण पक्ष, नवमी तिथि, रविवार, विक्रम संवत 2081, रेवती नक्षत्र प्रात: 7:34 तक, अतिगंड योग सांय 4:14 तक, गर करण दिन 12:20 तक, चन्द्रमा आज प्रात: 7:34 से मेष राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-मिथुन, चन्द्रमा-मीन, मंगल-मेष, बुध-कर्क, गुरू-वृष, शुक्र-मिथुन, शनि-कुम्भ, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में।

आज सर्वार्थ सिद्धि योग प्रात: 7:34 से सूर्योदय तक है। भद्रा रात्रि 11:23 से आरम्भ होगी। पंचक प्रात: 7:34 तक है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: चर 7:22 से 9:05 तक, लाभ-अमृत 9:05 से 12:30 तक, शुभ 2:13 से 3:55 तक।

राहूकाल: 4:30 से 6:00 तक। सूर्योदय 5:40, सूर्यास्त 7:20

मेष

मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। आज आवश्यक कार्य योजनानुसार बनने लगेंगे। घर-परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

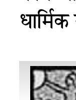

सिंह

नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आज धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है।

धनु

परिजनों के व्यवहार के कारण मन खिन्न हो सकता है। आपसी ईर्ष्या-वैमनस्यता के कारण परेशानी हो सकती है। आज महत्वपूर्ण कार्यों के संबंध में दुविधा बनी रहेगी।

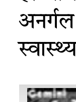

वृष

घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। आज मित्रों/रिश्तेदारों के कारण समय अनर्गल कार्यों में खराब हो सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

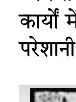

कन्या

चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान सामने आ सकते हैं। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। यात्रा में परेशानी हो सकती है।

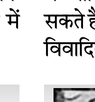

मकर

घर-परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा। परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है।

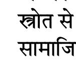

मिथुन

आर्थिक/वित्तिय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त होगा। आज धार्मिक-सामाजिक समारोह में भाग ले सकते हैं।

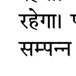

तुला

परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

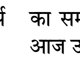

कुंभ

परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। परिवार में आज उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

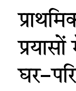

कर्क

अपने अति आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। आज प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। आज घर-परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

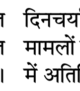

वृश्चिक

स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होगी। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा।

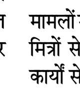

मीन

आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। आर्थिक मामलों में संतुलन बना रहेगा। आज नये-पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकती है। महत्वपूर्ण कार्यों से संबंधित वार्ता सफल रहेगी।